राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1655 दिनांक : 21/12/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कमलादेवी पत्नी चुन्नीलाल जाति जाट निवासी मुढ़णों की ढाणी, ,उण्डु, तह. शिव (बाड़मेर)		1. रिदुदेवी पत्नी किरताराम वगैरा 24, जाति जाट निवासी डुगरोणियों की ढाणी सवाऊ पदमसिंह, तह. गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 21 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – डुगरोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल – सवाऊ पदमसिंह तहसील –गिड़ा जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 817 / 40 रकबा क्रमशः 3.1727 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

21/12/2022

(मनोज)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1656 -1660 दिनांक : 21/12/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कमलादेवी पत्नी चुन्नीलाल
4. विप्रार्थी श्री रिदुदेवी पत्नी किरताराम वगैरा 24,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

21/12/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला-बाड़मेर